

प्रेषक,  
मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1554/न0पा0प0मऊ/वर्ष 2024-25, दिनांक-11.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹0 502.95 लाख (रूपये पांच करोड़ दो लाख पन्चास हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि ₹0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

**नगर पालिका परिषद**

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं0 4 काझा खुर्द चौहान बस्ती से सरकारी नलकूप होते हुए कृष्ण नन्द राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय एवं प्राथमिक पाठशाला तक 7 मी० लम्बा गैल्वनाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्टीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य। 2. वार्ड नं16 काझा खुर्द बाड़गांव में जेटा एंजर्सी के पास से गिरीश दादव का घर होते हुए ओम पब्लिक स्कूल के आगे चौहान बस्ती तक 7 मी० लम्बा गैल्वनाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्टीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	65.27		
			64.00		

3.	वार्ड नं० 4 काझा खुर्द प्राथमिक विद्यालय से स्टास्य केन्द्र तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	16.02		
4.	ख्वाजाजहापुर नेशनल हायवे संगीतनी अस्पताल पिच रोड से फूलबदन चौहान तिराहे तक एवं बंज दिहार कालोनी उर्मिला सदन से राम विलास यादव के मकान के पास तक 1400 मीटर तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	40.09		
5.	वार्ड नं० 11 ख्वाजाजहापुर में जगत नारायण के नलकूप से विरेन्द्र राय का घर होते हुए शकुन्तला राय सभासद के मकान, सुनिल राय व शिव मन्दिर तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	14.09		
6.	ख्वाजाजहापुर सेल्फी प्वांट के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूर्ति व मंदिर के पास से राम यादव के मकान होते हुए इन्द्रावती सदन के पास तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	42.29		
7.	वार्ड नं० 9 भानपुर रोज गार्डन के सामने मऊ बलिया मेन रोड से साई फार्मसी इस्टीट्यूट होते हुए राम बदन के मकान तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	11.44		
8.	वार्ड नं० 6 रामपुर बर्फिया गौड़ लस्ती में पोखरी सुन्दरीकरण हेतु 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	11.44		
9.	वार्ड नं० 20 बख्तावरगज पुल से कार्नेल राय खेत से होते हुए काली माता मन्दिर तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	36.34		
10.	वार्ड नं० 11 डीडी शहरोज से रेवरीडीह नगर पालिका सीमा तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	45.05		
11.	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत फोरलैन ओवरब्रिज से सलाहाबाद अम्बेडकर जी के मूर्ति तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	47.52		
12.	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत रहजनिया हाइडिल से फोरलैन ओवरब्रिज तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	21.60		
13.	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत सलाहाबाद बाजार गेट से प्राथमिक स्कूल सलाहाबाद तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	28.19		
14.	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत सलाहाबाद मोड़ रेलवे फाटक से रहजनिया हाइडिल तक 7 मी० लम्बा गैल्वानाइज्ड पोल सिगल आर्म के साथ एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट भूमिगत पाईप, केबल के माध्यम से लगाने का कार्य।	59.61		
<b>योग</b>		<b>502.95</b>	<b>500.00</b>	<b>250.00</b>

### नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के परिसर दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर नियंत्रित करके उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिनाधिकारी/सहायक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पीओ/बैंक व डिपोजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन/कार्य स्थल पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।


- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वाविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत इंडिंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।
- (17) 'सेंटेज चार्ज निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (19) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

- (20) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31.03.2025 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- (21) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संवर्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (22) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (23) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (24) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दश में किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 250.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-312-X-2024-25, दिनांक- 29 नवम्बर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


  
(मो० वसिफ) 13.12.24  
अनु सचिव।

संख्या-73/2024/927-आर०एफ०(1)/001-E- 1869482, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखक परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, मऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी०एम०यू० यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आजा से,

  
(मो० वसिफ) 13.12.24  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-13/12/2024

प्रेषण संख्या:- 273  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-273-2024-927-RF-001-E-1869482  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000000 34933000	25000000 34933000
	योग	वर्तमान प्रगामी	25000000 34933000	25000000 34933000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ उनचास लाख तैंतीस हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव